**ई-मेल से प्रेषित /**
**विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध।**

पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital Signature)-(2016-17) / 17 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनॉक // लखनऊ // अप्रैल, 11, 2016

**विषय :-** **वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में विभाग के अधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर सटीफिकेट बनवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यालय पर प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निक्सी की डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट बनाने वाली सेवा प्रदाता संस्था द्वारा यह सूचित किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ PAN Card अथवा Pass Port अथवा Smart Driving License में से किसी एक अभिलेख की छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य है जिसमें आवेदन कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से हों। उक्त अभिलेख के बिना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के दृष्टिगत डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट बनाना सम्भव नही है।

2- अत: कृपया जिन अधिकारियों के आवेदन पत्र मुख्यालय प्रेषित कर दिये गये हैं उन अधिकारियों के उपरोक्त सम्बन्धित अभिलेख Scan कराकर मुख्यालय को Email ID - ctithqlu-up@nic.in पर दिनॉक 13-04-2016 तक प्रत्येक दशा में email कराने का कष्ट करें। ई-मेल में अभिलेख से सम्बन्धित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा तैनाती के स्थान का उल्लेख भी अवश्य किया जाय जिससे प्राप्त अभिलेखों को सम्बन्धित अधिकारी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने में कोई त्रुटि न हो।

जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट सम्बन्धी आवेदन पत्र मुख्यालय को अभी तक प्रेषित नही किये गये हैं उन आवेदन पत्रों में भी उपरोक्त प्रकार का अभिलेख अनिवार्य रुप से संलग्न करते हुये ऐसे आवेदन पत्र भी यथाशीघ्र ही मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11/04/2016

**(देवेन्द्र मिश्र)**
ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।